

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ए.4( )लेखा/बजट प्लान/09/ 4436-37

दिनांक : 10/8/09

समस्त संयुक्त निदेशक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :- वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु बजट आवंटन के क्रम में।

संदर्भ :- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) की अ0टि0 क्रमांक : प.3/मलेरिया बजट / 2009-10/688 दिनांक 29.7.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के क्रम में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशकों के छिड़काव कार्य दिनांक 01.08.09 से 15.10.09 (द्वितीय चरण) हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को निम्नलिखित बजट शीर्ष में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :-

**बजट शीर्षक :-**

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

06-लोक स्वास्थ्य

101-रोगों का निवारण एवं नियंत्रण

(01)-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आयोजना व्यय)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	(03) यात्रा-भत्ता	(11) विज्ञापन एवं प्रचार	(20) वाहन संधारण/पीओएल	(22) समग्री प्रदाय	(36) संविदा वाहन (वाहन किराये हेतु)	(41) संविदा व्यय (मजदूरी)	कुल योग
1.	अलवर	0.24	0.27	1.00	0.50	0.40	2.00	4.41
2.	दौसा	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	2.00	3.26
3.	जयपुर-प्रथम	0.16	0.18	0.40	0.50	0.20	0.70	2.14
4.	जयपुर-द्वितीय	0.16	0.18	0.40	0.50	0.20	0.70	2.14
5.	झुन्झुनू	0.08	0.18	0.30	0.50	0.10	0.40	1.56
6.	सीकर	0.08	0.18	0.40	0.50	0.20	0.30	1.66
7.	भरतपुर	0.16	0.27	0.50	0.50	0.20	1.10	2.73
8.	धौलपुर	0.16	0.27	0.50	0.50	0.30	3.20	4.93
9.	करीली	0.24	0.45	1.00	0.50	0.50	5.50	8.19
10.	सवाईमाधोपुर	0.16	0.18	0.50	0.50	0.20	0.90	2.44
11.	बीकानेर	0.24	0.27	0.70	0.50	0.50	3.95	6.16
12.	श्रीगंगानगर	0.08	0.18	0.40	0.50	0.30	0.50	1.96
13.	हनुमानगढ	0.16	0.27	1.00	0.50	0.40	2.70	5.03
14.	रतनगढ (चूरु)	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	0.50	1.76
15.	बाड़मेर	0.24	0.27	1.00	0.50	0.50	6.70	9.21
16.	जैसलमेर	0.24	0.27	1.00	0.50	0.50	5.20	7.71
17.	जालौर	0.08	0.18	0.50	0.50	0.20	0.25	1.71
18.	जोधपुर	0.24	0.18	0.75	0.50	0.30	1.50	3.47
19.	पाली	0.08	0.18	0.50	0.50	0.30	0.60	2.16
20.	सिरोही	0.08	0.09	0.50	0.50	0.20	0.30	1.67
21.	बांसवाडा	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	0.00	1.26
22.	चित्तौडगढ	0.08	0.09	0.50	0.50	0.20	0.00	1.37
23.	प्रतापगढ	0.08	0.09	0.50	0.50	0.20	0.30	1.67
24.	डूंगरपुर	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	0.00	1.26
25.	राजसमन्द	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	0.40	1.66
26.	उदयपुर	0.24	0.27	0.75	0.50	0.40	2.00	4.16
27.	बून्दी	0.16	0.18	0.70	0.50	0.20	3.30	5.04
28.	बारा	0.16	0.27	0.60	0.50	0.40	2.10	4.03
29.	झालावाड़	0.08	0.27	1.00	0.50	0.40	0.40	2.65
30.	कोटा	0.16	0.27	1.00	0.50	0.40	1.30	3.63
31.	अजमेर	0.16	0.27	0.50	0.50	0.40	2.30	4.13
32.	भीलवाडा	0.24	0.36	0.70	0.50	0.40	3.80	6.00

क्र. सं.	जिले का नाम	(03) यात्रा-भत्ता	(11) विज्ञापन एवं प्रचार	(20) वाहन संधारण/पीओएल	(22) सामग्री प्रदाय	(36) संविदा वाहन (वाहन किराये हेतु)	(41) संविदा व्यय (मजदूरी)	कुल योग
33.	नागौर	0.16	0.18	0.75	0.50	0.30	2.40	4.29
34.	टोंक	0.08	0.18	0.30	0.50	0.20	0.20	1.46
35.	जोन-जयपुर	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
36.	जोन-भरतपुर	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
37.	जोन-बीकानेर	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
38.	जोन-जोधपुर	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
39.	जोन-उदयपुर	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
40.	जोन-कोटा	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
41.	जोन-अजमेर	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
		4.88	7.38	22.85	17.00	10.00	57.50	119.61

(अक्षरे कुल राशि एक करोड उन्नीस लाख इकसठ हजार मात्र)

**बजट शीर्षक:-**

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

06-लोक स्वास्थ्य

796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(03)-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आयोजना व्यय)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	(11) विज्ञापन एवं प्रचार	(22) सामग्री प्रदाय	(41) संविदा व्यय (मजदूरी)	कुल योग
1	सिरोही	0.20	0.40	0.60	1.20
2	बांसवाडा	0.16	0.50	0.15	0.81
3	चित्तौडगढ	0.20	0.50	0.15	0.85
4	प्रतापगढ	0.20	0.50	1.10	1.80
5	डूंगरपुर	0.16	0.40	3.00	3.56
6	उदयपुर	0.20	0.70	6.00	6.90
		1.12	3.00	11.00	15.12

(अक्षरे राशि पन्द्रह लाख बारह हजार मात्र)

(अक्षरे कुल राशि एक करोड चौत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

1. संविदा व्यय (मजदूरी) उपमद में आवंटित बजट का उपयोग करते समय डी.डी.टी. कीटनाशक की उपलब्धता के आधार पर स्प्रे कार्य की समीक्षा की जावे, तत्पश्चात् राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे तथा कीटनाशक छिड़काव कार्य पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उक्त मद संविदा व्यय से किया जावे।
2. मलेरिया के सपुरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु संयुक्त निदेशकों द्वारा वाहन संधारण/पीओएल मद में आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे।
3. आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (G.F.& A.R.) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जावे एवं व्यय की सूचना से अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) एवं बजट अनुभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अवगत करावे।

६

(एस0एस0 बोहरा)

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ए.4( )लेखा/बजट प्लान/09/ 4438

दिनांक : 10/8/09

प्रतिलिपि : अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय को संदर्भित अनौ0 टीप के क्रम में सूचनार्थ।

६

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर